कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा0 रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662-299135

क्रमांक/मा.चि./ 3248 रीवा, दिनांक 06-04-23

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ.स.)
संभाग क्रमांक 1, रीवा (म.प्र.)

विषय :– रीवा जिले में क्योंटी – जनकहाई (पनियारीघाट) मार्ग निर्माण हेतु 6.132 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रीवा को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ:– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6–MPR019/2022–BHO दिनांक 31.03.2023

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/1133/2022/10–11/1308 दिनांक 04.04.2023

---------0---------

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र से प्रस्तावित रीवा जिले में क्योंटी – जनकहाई (पनियारीघाट) मार्ग निर्माण हेतु 6.132 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग रीवा को उपयोग पर देने बावत् प्रकरण में प्रथम चरण (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गई (छायाप्रति संलग्न है)। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार राशि प्राप्त की जाना है, उन शर्तों के अनुसार आवेदक संस्थान को ऑनलाईन कैम्पा मद में राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी कर फारेस्ट क्लियरेन्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश है। उक्त राशि फारेस्ट क्लियरेन्स की वेबसाईट पर अपलोड करने के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा ओके करने के उपरान्त राशि जमा कर सकेगें तथा शर्त अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल के पत्र दिनांक 20.05.2020 से निर्देशित किया गया है कि आवेदक संस्थाओं से सभी प्रकार के भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से कराये जायें। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रकिया मंत्रालय की वेबसाईट www.forestclearance.nic.in के बांयी ओर के कॉलम में Support के विन्दु Epayment process of Stage-II clearance में देखी जा सकती है। आवेदक संस्था से जब भी किसी प्रकार की भुगतान की मांग की जाती है तो आवेदक संस्था को बैंक खातों के नम्बर न देकर उन्हें यह निर्देश देवे कि यह भुगतान MOEF की वेबसाईट www.forestclearance.nic.in पर जाकर करने के निर्देश है। इस हेतु आवेदक संस्था अपने यूजर आईडी से मंत्रालय की वेबसाईट पर जाकर मांग पत्र को अपलोड करना होगा तथा मांग पत्र के अनुसार राशियों को मदवार भरना होगा। आवेदक संस्था द्वारा आवश्यक प्रविष्टियां करने पर तथा Submit करने पर यह स्वमेव नोडल अधिकारी के पास आ जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा ओके/वेरीफाई करने पर स्वमेव चालान जनरेट हो जायेगा जिस आधार पर आवेदक संस्था सीधा भुगतान कर सकेगी। यदि आवेदक पूर्व से पंजीकृत नहीं है तो वह मंत्रालय की वेबसाईट पर अपने आप को पंजीकृत भी करा सकते हैं।

संदर्भित पत्र अनुसार 6.132 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ.स.) सम्भाग क्रमांक 01 रीवा को उपयोग पर देने बावत् प्रकरण में प्रथम चरण (सैद्धांतिक) सशर्त जारी स्वीकृति के अनुसार व्यपवर्तित वनभूमि की एन0पी0व्ही0 जमा करने बावत् मॉग पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राशि का विवरण निम्नानुसार है।

...e memo date 07-04-2023 all

प्रपत्र–1

क.	मद का नाम	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि
1	क्षतिपूरक वनीकरण	70,05,000/–
2	अति0 क्षतिपूरक वनीकरण	–
3	नेट प्रजेन्ट वैल्यू	58,73,106/–
4	दाण्डिक रोपण	–
5	कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट	–
6	सेफ्टी जोन	–
7	संरक्षित वन के लिए अतिरिक्त शुल्क	–
8	अन्य शुल्क (यदि कोई हो)	–
9	औषधीय वृक्षारोपण	–
	कुल योग :–	1,28,78,107/–

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार नवीनीकरण हेतु एन0पी0व्ही0 की राशि रुपये 1,28,78,107/– ऊपर दी गई वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर यू0टी0आर0 की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित सशर्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ की ओर प्रेषित किया जा सके।

(चन्द्रशेखर सिंह भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र./मा.चि./ 3249 रीवा, दिनांक/ 06-04-23

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)